

राजस्थान सरकार  
स्कूल शिक्षा विभाग  
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग

क्रमांक : प. 7(10)प्राशि /आयो/ 2018

जयपुर, दिनांक: ०६.०६.२०१८

### आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.7(1)प्राशि /आयो/ 2016 जयपुर दिनांक 20 सितम्बर 2016 के द्वारा B.Ed./D.El.Ed. के राजकीय एवं निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रथम वर्ष में 4 सप्ताह एवं द्वितीय वर्ष में 16 सप्ताह का इंटर्नशिप कार्यक्रम अनिवार्य रूप से राजकीय विद्यालयों में ही किया जाना निश्चित किया गया है। B.Ed./D.El.Ed. के प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु राजकीय /निजी विद्यालयों का आवंटन करने हेतु सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, प्रथम को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

नोडल अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु राजकीय विद्यालयों का आवंटन करने हेतु दिशा-निर्देश निम्नानुसार जारी किए जाते हैं :—

#### 1. सामान्य निर्देश :—

1.1 B.Ed./D.El.Ed. के प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु राजकीय विद्यालयों का आवंटन करने के लिए जिला स्तरीय समिति निम्नानुसार होगी :—

- |      |   |             |
|------|---|-------------|
| i-   | जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, प्रथम (नोडल अधिकारी)   | —समन्वयक    |
| ii-  | जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, द्वितीय  | —सदस्य      |
| iii- | जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, प्रथम / द्वितीय   | —सदस्य      |
| iv-  | प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट)  | —सदस्य      |
| v-   | शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी / अति. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (शैक्षिक प्रकोष्ठ) कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा, प्रथम | —सदस्य सचिव |

1.2 प्रशिक्षणार्थियों को उनके गृह जिले में इंटर्नशिप कार्यक्रम किए जाने की अनुमति होगी।

1.3 स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल एवं उच्च माध्यमिक /माध्यमिक विद्यालयों में इंटर्नशिप कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात संस्था प्रधान द्वारा निर्धारित अंकभार प्रदान करते हुए इन्टर्नशिप कार्यक्रम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा। प्राथमिक /उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इंटर्नशिप कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात संबंधित संस्था प्रधान द्वारा निर्धारित अंकभार प्रदान करते हुए इन्टर्नशिप कार्यक्रम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा, जिस पर संबंधित पदेन ग्राम पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों के लिए) / ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य विद्यालयों के लिए) के द्वारा प्रतिहस्ताक्षर कर प्रमाणित किया जावेगा।

#### 2. इन्टर्नशिप कार्यक्रम का आवंटन समय निर्धारण

2.1 डी.एल.एड / बी.एड में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों की इन्टर्नशिप राजकीय विद्यालयों में निम्नानुसार दो चरणों में सम्पादित की जावेगी :—

(i) प्रथम चरण – माह 09 जुलाई से 31 जुलाई तक राजकीय विद्यालयों का आवंटन किया जावेगा तथा इंटर्नशिप माह नवम्बर–दिसम्बर तक पूर्ण होगी।

(ii) द्वितीय चरण – माह 7 नवम्बर से 20 दिसम्बर से तक राजकीय विद्यालयों का आवंटन किया जावेगा तथा इंटर्नशिप सत्रान्त तक पूर्ण होगी।।

2.2 डी.एल.एड / बी.एड पाठ्यक्रम मे प्रथम वर्ष में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों को 4 सप्ताह के इन्टर्नशिप कार्यक्रम हेतु दीपावली अवकाश के पश्चात द्वितीय चरण में राजकीय विद्यालयों का आवंटन किया जावेगा।

2.3 डी.एल.एड पाठ्यक्रम मे द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों को 16 सप्ताह के इन्टर्नशिप कार्यक्रम हेतु प्रथम चरण में जुलाई–अगस्त माह मे राजकीय विद्यालयों का आवंटन किया जावेगा।

2.4 बी.एड पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों को 16 सप्ताह के इन्टर्नशिप कार्यक्रम हेतु प्रथम एवं द्वितीय चरणों में (जिले की आधी संस्थाओं को प्रथम चरण में तथा शेष आधी संस्थाओं को द्वितीय चरण में) राजकीय विद्यालयों का आवंटन किया जावेगा।

2.5 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, प्रथम द्वारा जिले मे संचालित समस्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की सूची तैयार की जाएगी। जिले की आधी संस्थाओं को द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षणार्थियों हेतु प्रथम चरण के इंटर्नशिप कार्यक्रम का आवंटन तथा शेष आधी संस्थाओं के द्वितीय चरण के इन्टर्नशिप कार्यक्रम का आवंटन कर सभी संबंधित संस्थाओं एवं सभी जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा को सूचित किया जावेगा। यह सूचना विभागीय वेबसाईट [www.education.rajasthan.gov.in](http://www.education.rajasthan.gov.in) पर भी अपलोड की जावेगी।

### 3. इन्टर्नशिप कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षणार्थियों को राजकीय विद्यालयों का आवंटन की प्रक्रिया

3.1 जिले मे संचालित समस्त विद्यालयों मे इन्टर्नशिप हेतु आवंटित किये जाने वाले प्रशिक्षणार्थियों की अधिकतम संख्या का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा:-

आर्द्ध विद्यालय एवं स्वामी विवेकानन्द माड़ल स्कूल	उत्कृष्ट विद्यालय	कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय	शेष समस्त माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय	शेष समस्त प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालय
15 जून को वरिष्ठ अध्यापको एवं अध्यापको के रिक्त पद+02	15 जून को अध्यापको के रिक्त पद+02	15 जून को अध्यापको के रिक्त पद + 01	15 जून को वरिष्ठ अध्यापको एवं अध्यापको के रिक्त पद + 02	15 जून को अध्यापको के रिक्त पद + 01

उपरोक्तानुसार विद्यालयों को इन्टर्नशिप हेतु आवंटित किये जाने वाले प्रशिक्षणार्थियों की अधिकतम संख्या डी.एल.एड / बी.एड प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों के लिये दोनों चरणों हेतु पृथक–पृथक निर्धारित की जावेगी।

3.2 सत्र 2018–19 मे राजकीय एवं निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं / महाविद्यालयों / विश्वविद्यालयों मे अध्ययनरत B.Ed. एवं D.El.Ed. के अतिरिक्त NCTE के नियमानुसार

शिक्षक प्रशिक्षण के विभिन्न इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम यथा **B.A.-B.Ed., B.Sc.-B.Ed., B.Ed.-M.Ed., M.Sc.-B.Ed.** के प्रशिक्षणार्थियों को भी इंटर्नशिप कार्यक्रम राजकीय / निजी विद्यालयों में करवाया जाना है। अतः नोडल अधिकारियों द्वारा **D.El.Ed., B.Ed., B.A.-B.Ed., B.Sc.-B.Ed., B.Ed.-M.Ed.** एवं **M.Sc.-B.Ed.** के प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु राजकीय विद्यालयों का आवंटन किये जाने की अनुमति दी जावेगी।

- 3.3 बिन्दू संख्या 3.1 एवं 3.2 के अनुसार राज्य के समस्त राजकीय माध्यमिक / उच्च माध्यमिक, प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालय, स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हेतु दोनों चरणों में इन्टर्नशिप के लिये आवंटित किये जाने वाले प्रशिक्षणार्थीयों की डी.एल.एड./बी.एड प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष हेतु पृथक—पृथक अधिकतम संख्या का निर्धारण “राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् (RCSCE)” द्वारा शाला दर्पण पोर्टल एवं शाला दर्शन पोर्टल के माध्यम से किया जाकर विद्यालयवार आवंटित प्रशिक्षणार्थियों की अधिकतम संख्या की सूचियां राज्य स्तरीय लॉगिन, शिक्षा उपनिदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक / माध्यमिक, ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी तथा समस्त विद्यालयों के लॉगिन आई डी पर उपलब्ध करवाई जाएगी। यह कार्यवाही 20 जून तक संपादित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
- 3.4 शाला दर्शन / शाला दर्पण पोर्टल पर सूची उपलब्ध होने के पश्चात कार्यक्रम अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी विद्यालय आवंटन मॉड्यूल द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम हेतु ऑन—लाईन आवेदन लिए जाएंगे।

### इन्टर्नशिप हेतु पात्रता

क्र. सं.	इंटर्नशिप चरण	इंटर्नशिप हेतु ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने की तिथि
1.	<b>प्रथम चरण</b> (i) डी.एल.एड. द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत समस्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थी। (ii) बी.एड द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत उन समस्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थी जिन्हे जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा—प्रथम द्वारा प्रथम चरण हेतु चिन्हित किया गया है।	माह 09 जुलाई 2018 से 31 जुलाई 2018 तक राजकीय विद्यालयों का आवंटन किया जावेगा।
2	<b>द्वितीय चरण</b> (i) डी.एल.एड. एवं बी.एड. प्रथम वर्ष में अध्ययनरत समस्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थी। (ii) बी.एड द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत उन समस्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थी जिन्हे जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा—प्रथम द्वारा द्वितीय चरण हेतु चिन्हित किया गया है।	माह 7 नवम्बर 2018 से 20 दिसम्बर 2018 तक राजकीय विद्यालयों का आवंटन किया जावेगा।

3.5 शाला दर्शन/शाला दर्पण पोर्टल पर सूची उपलब्ध होने के पश्चात् इन्टर्नशिप हेतु सत्र 2018–19 के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा आवेदन लिए जाकर विद्यालय आवंटन रेंडम प्रक्रिया के द्वारा ऑनलाइन ही किया जावेगा। इस प्रक्रिया के लिए एन.आई.सी. को सॉफ्टवेयर के निर्माण के लिए अधिकृत किया जाता है। एन.आई.सी. द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर विद्यालय आवंटन मॉड्यूल का सॉफ्टवेयर तैयार किया जावेगा। ऑनलाइन विद्यालय अलोटमेंट प्रोसेस के निम्न चरण/प्रक्रिया होगी:—

3.5.1 महाविद्यालय अपने लॉग इन से अभ्यर्थियों के पंजीयन के पश्चात्, पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, राउंडवार इन्टर्नशिप हेतु निर्धारित समय सीमा में शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट करवाये जाएंगे। इस ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी उसकी चॉइस के ब्लॉक के 10 विद्यालयों की प्राथमिकता के क्रम में सबमिट करेंगे, जहाँ अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटित किया जावेगा। महाविद्यालय द्वारा Fill-up की गयी चॉइस को अभ्यर्थी पब्लिक डोमेन पर देखकर उसमें परिवर्तन करना चाहेगा तो ऑनलाइन ही अंतिम तिथि से पूर्व, महाविद्यालय द्वारा पंजीयन के समय दिए गए मोबाइल पर प्राप्त OTP प्रोसेस द्वारा, परिवर्तित कर सकेगा।

3.5.2 विद्यालय आवंटन की ऑनलाइन प्रक्रिया शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ही शाला दर्पण पोर्टल से निर्धारित समय सीमा में फेज वाइज विद्यालय आवंटन किया जावेगा।

3.5.3 अभ्यर्थी द्वारा लिए गए प्रथम आवेदन की 10 विद्यालयों की प्राथमिकता को देखा जाएगा एवं संबंधित ब्लॉक के विद्यालयों में वेकेन्सी (निर्धारित की गणना अनुसार) की उपलब्धता के आधार विद्यालयों का एक डाटा पैकेट बनाया जाएगा, जिसका आधार निम्न होगा:—

3.5.3.1 संबंधित ब्लॉक में अभ्यर्थियों की संख्या, ब्लॉक में उपलब्ध कुल वेकेन्सी से अधिक है तो “मॉडल, आदर्श, उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, उत्कृष्ट, उ.प्रा. (>100 नामांकन) एवं प्रा. (>60 नामांकन) विद्यालयों का एक ही पैकेट बनाया जाएगा।

3.5.3.2 वेकेन्सी नहीं होने की स्थिति में पहले “मॉडल, आदर्श, उ.मा., मा. एवं उत्कृष्ट विद्यालय का पैकेट बना कर अलोटमेंट किया जाएगा। इस पैकेट के विद्यालय का एलॉटमेंट होने के पश्चात् अर्थात् इनमें कोई वेकेन्सी नहीं होने की स्थिति में उ.प्रा. (>100 नामांकन) एवं प्रा. (>60 नामांकन) विद्यालयों का पैकेट बना कर रेंडम प्रक्रिया द्वारा विद्यालय का आवंटन किया जाएगा।

3.6 **D.El.Ed./B.Ed.** पाठ्यक्रम के प्रशिक्षणार्थियों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु निर्धारित प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष की कुल 20 सप्ताह के इंटर्नशिप कार्यक्रम में से प्रथम वर्ष के 04 सप्ताह का समय (20प्रतिशत समय) निजी विद्यालयों में ऐच्छिक प्रावधान कराये जाने का निर्णय लिया गया है, जो निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय पाठ्यक्रम के प्रशिक्षणार्थियों को प्रथम वर्ष के 04 सप्ताह का समय (20 प्रतिशत समय) निजी विद्यालयों में इंटर्नशिप कार्यक्रम कराना चाहते हैं वें 10 निजी विद्यालयों से सहमति पत्र प्राप्त कर शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करवाएंगे।



- 3.7 **D.El.Ed./B.Ed.** पाठ्यक्रम के प्रशिक्षणार्थियों के लिए इन्टर्नशिप कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षणार्थियों को आगामी चरणों में प्रशिक्षणार्थियों से उनके इच्छित ब्लॉक के 10 राजकीय विद्यालयों की चाईस मांगी जाकर वरीयता क्रम में “पहले आओं पहले पाओं के सिद्धान्त पर” विद्यालय आवंटन मोड़यूल के माध्यम से इन्टर्नशिप हेतु राजकीय विद्यालय का आवंटन किया जावें।
- 3.8 शाला दर्शन / शाला दर्पण पोर्टल के अनुसार विद्यालय को आवंटित अधिकतम संख्या के अनुसार ही इन्टर्नशिप कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षणार्थियों का आवंटन शाला दर्शन पोर्टल के माध्यम से किया जावेगा।
- 3.9 आवंटन आदेश जारी होने के पश्चात प्रशिक्षणार्थी द्वारा संबंधित विद्यालय में संबंधित संस्था प्रधान को आदेश जारी होने की तिथि के सात दिवस में इन्टर्नशिप हेतु उपस्थिती देनी होगी। संबंधित संस्था प्रधान द्वारा प्रशिक्षणार्थी के उपस्थित होने की सूचना उसी दिवस में अनिवार्यतः शाला दर्पण / शाला दर्शन पोर्टल पर दर्ज करनी होगी।
- 3.10 इन्टर्नशिप कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षणार्थी को आवंटित विद्यालय मे पूरे समय उपस्थित रहना होगा। प्रशिक्षणार्थी 4 कालांश विद्यालय मे अध्यापन कराने वाले नियमित अध्यापकों की कक्षा मे उपस्थित रहकर शिक्षण विधियों का अवलोकन करेंगे एवं शेष 4 कालांश में प्रशिक्षणार्थी विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों की देखरेख मे अध्यापन कार्य करेंगे।
- 3.11 प्रथम वर्ष के प्रशिक्षणार्थी को अधिकतम दो दिवस तथा द्वितीय वर्ष के लिए अधिकतम 7 दिवस का अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। किन्तु उक्त अवकाश की गणना कुल कार्यदिवस में नहीं होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा। इन्टर्नशिप निर्धारित समय सीमा में ही पूरी करना अनिवार्य होगा तथा कार्यमुक्त होने के तुरन्त बाद सम्बन्धित महाविद्यालय में प्रशिक्षणार्थी को उपस्थित होना होगा।
- 3.12 इन्टर्नशिप कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षणार्थी कक्षा 1 से 5 में S.I.Q.E. एवं A.B.L. पद्धति से अध्यापन करवाएंगे। इन्टर्नशिप के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को विद्यालय अभिलेख, नवीनतम शिक्षण अधिनियम, विधियों एवं संकल्पनाओं को समझाने का अवसर प्रदान किया जावेगा।
- 3.13 इन्टर्नशिप के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को अभिभावकों व सामुदायिक इकाईयों से भी सम्पर्क करवाया जावे।
- 3.14 इन्टर्नशिप कार्यक्रम के लिए एन.सी.टी.ई. के प्रावधानानुसार विभाग द्वारा तैयार की गई विस्तृत डी.एल.एड / बी.एड मार्गदर्शिका के अनुसार स्कूल स्थानबद्ध कार्यक्रम (इन्टर्नशिप) सम्पादित किया जाना सुनिश्चित किया जावें।

(ज्योति चौहान)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि, निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
3. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् (RCSCE) जयपुर।

4. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर को सम्बद्ध महाविद्यालयों को निर्देशित करवाने हेतु प्रेषितहै।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
7. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
8. निदेशक, एन.आई.सी. रमसा, जयपुर।
9. पंजीयक, शिक्षा विभागीए परीक्षाएँ, निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
10. समस्त संभागीय उप निदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा संभाग .....।
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा, जिला .....।
12. समस्त प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला .....।
13. समस्त प्रधानाचार्य, निजी/राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान।
14. समस्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी(बीईईओ) / पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ)।
15. प्रभारी अधिकारी शाला दर्पण / शाला दर्शन प्रकोष्ठ।
16. श्री देवेन्द्र जोशी कार्यक्रम अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी ऑनलाइन विद्यालय आवंटन मॉड्यूल, शाला दर्पण प्रकोष्ठ।
17. रक्षित पत्रावली।

[www.rajteachers.com](http://www.rajteachers.com)

  
 (एस.एन.यादव)  
 अनुसंधान अधिकारी